फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

देवलाल पिता रूपा जाति मीणा निवासी रावतखेडा

बनाम

कैलाश पिता नारायण जाति मीणा निवासी रावतखेडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.   मुकदमा नं. 636/2023

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
)6.2023	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम रावतखेडा पटवार हल्का रावतखेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 126 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 1066/108 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 414 कुल किता 01 रकबा 0.2914 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 81, 82, 83 कुल किता 03 रकबा 0.4857 हैंक्टेयर ,आराजी नम्बर 132/1,133/1, 334/2, 335/2, 383/1, 455/1, 79/1, 86/1, 911/2 कुल किता 09 रकबा 0.8256 हैंक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृर्षि आराजी के पडोसी हैं । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हैं , अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत **2073 से 2076** तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं । अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं । अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम रावतखेडा पटवार हल्का रावतखेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 126 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 1066/108 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 414 कुल किता 01 रकबा 0.2914 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 81, 82, 83 कुल किता 03 रकबा 0.4857 हैंक्टेयर ,आराजी नम्बर 132/1,133/1, 334/2, 335/2, 383/1, 455/1, 79/1, 86/1, 911/2 कुल किता 09 रकबा 0.8256 हैंक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक **जहाजपुर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 2000 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर(भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

/रीडर/2023/636/2023 दिनांक :– 21.06.2023

तहसीलदार जहाजपुर

प्र. स. 636/23 अनवान देवलाल पिता रूपा जाति मीणा निवासी रावतखेडा बनाम कैलाश पिता नारायण मीणा, कैलाशी पत्नि रामकुवॅार मीणा, लादू पिता गंगाराम मीणा, ग्यारसा पिता लादू बैरवा, रामेश्वर पिता रामलाल मीणा, गोपीचन्द पिता नारायण मीणा, रामेश्वर पिता भोजुराम मीणा, गोमदा पिता लालु बैरवा निवासियान रावतखेडा तहसील जहाजपुर जिला–भीलवाडा राजस्थान

पथरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम रावतखेडा पटवार हल्का रावतखेडा जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 126 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैंक्टेयर, म्बर 1066/108 कुल किता 01 रकबा 0.1619 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 414 कुल किता 01 914 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 81, 82, 83 कुल किता 03 रकबा 0.4857 हैंक्टेयर ,आराजी /1,133/1, 334/2, 335/2, 383/1, 455/1, 79/1, 86/1, 911/2 कुल किता 09 256 हैंक्टेयर** भुमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख **जहाजपुर** को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रू. तय किये जाते र्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के सी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)